(294)

क्र० 10/- टिकिट पेश नहीं किया गया

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र0 सन् 2018

निगरानी-3322/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. बेटू यादव तनय करन्जुवा यादव
2. गिरधारी तनय करन्जुवा यादव

निवासीगण ग्राम – सूरजपुरा, (राजपुर)
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 .... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. दिनेश कुमार प्रजापति तनय दुर्जन कुमार
2. लल्लू यादव तनय बच्चू यादव

निवासीगण ग्राम – सूरजपुरा, (राजपुर)
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 .... गैरनिगरानीकर्तागण

श्री के० शुक्ला द्वारा आज दि. 30-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 30-5-18

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्र0 16/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 से दुखी होकर निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959।

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करते है :–

निगरानी के तथ्य

(K. SHUKLA) 29/05/18

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा राजपुर तहसील राजनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 741/2 के सीमांकन हेतु गैरनिगरानीकर्ता क्र0 01 ने नायब-तहसीलदार प्रभारी मंडल चन्द्रनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें हम निगरानीकर्तागण को सीमांकन के प्रकरण में ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही सीमांकन के समय किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी गयी , जबकि उक्त भूमि पर हम निगरानीकर्तागण का पुस्तैनी समय से कब्जा दखल चला आ रहा है। उक्त सीमांकन आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार प्रभारी मंडल चन्द्रनगर (जिन्हें आगे योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया गया है) के न्यायालय में हम निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक 08.05.2018 को सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गयी . जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पिछली तारीख में दिनांक 07.05.2018 को दूषित एवं गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया। जिससे दुखी होकर निगरानीकर्तागण निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है :–

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3322/2018/छतरपुर/भू.रा.

बेटू यादव व अन्य विरूद्ध दिनेश कुमार प्रजाप्रति व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री व्ही.के. शुक्ला अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार क्षेत्र चन्द्रनगर, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर के प्र. क्र. 16/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 07–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अंतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 12/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	